अकरम खान

बनाम

पश्चिम बंगाल राज्य

(2011 की आपराधिक अपील संख्या 2248)

05 दिसंबर, 2011

[पी. सतशिवम और जे. चेलमेश्वर, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860:

धारा 364-ए एवं 120-बी-मुक्ति धन के लिए अवयस्क लडके का व्यपहरण- विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर उम्रकैद की सजा दी गयी जिसे उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किया गया- तीनों दोषसिद्ध अभियुक्तगण में से एक ने अपील प्रस्तुत की- निर्णीत किया गयाः कि साक्षियों की साक्ष्य से यह पूर्णतः साबित होता है कि अभियुक्तगण में से, विशेष रूप से अपीलार्थी, ने परिवादी के अवयस्क लडके का व्यपहरण किया, बच्चे की रिहाई के लिए मुक्ति धन की मांग की और धमकाया कि मांग पूरी नहीं होने पर उसके पुत्र को मार दिया जायेगा- अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा के आदेश को बनाए रखने में उच्च न्यायालय सही था और हम इस बात से संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले में हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली कोई कमी नहीं है।

सजा/सजा दिया जानाः

सजा अंतर्गत धारा 364ए भा.द.स.- उददेश्य- निर्णीतः धारा 364ए को भा.द.स. में जोडने के उददेश्यो एव कारणों का विवरण यह स्वष्ट करता है कि मुक्ति धन के लिए व्यपहरण से सम्बधितं मामले एक ऐसा अपराध है जिसके लिए कठोर दण्ड की अवश्यकता होती है, इस तथ्य के बावजूद कि व्यपहरण के परिणामस्वरूप पीडित की मृत्यु नही हुई है- मुक्ति धन के लिए युवा बच्चों के व्यपहरण के मामलों मे चिन्ताजनक वृद्धि को देखते हुए विधायिका ने अपनी बुद्धिमता मे कडी सजा का प्रावधान किया है- अतः ऐसे मामलों मे सजा देने मे कोई उदारता नही दिखानी चाहिए, दूसरी ओर, इससे यथासंभव कठोरतम तरीके से निपटा जाना चाहिए एवं न्यायालयों पर भी इसका दायित्व बनाता है- दण्ड सहिंता, 1860-धारा 364ए।

अपीलकर्ता पर 7 अन्य लोगों के साथ फिरौती के लिए एक नाबालिग लड़के (पीडब्लू 2) के अपहरण का मुकदमा चलाया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 17.3.2000 को, पीडब्लू 2 कलकत्ता शहर में अपने घर से लापता पाया गया था। उसके पिता (पीडब्लू 3) ने उसी दिन पुलिस को मामले की सूचना दी। बाद में, पीडब्लू 3 को अज्ञात व्यक्तियों से फिरौती की मांग करते हुए टेलीफोन कॉल प्राप्त हुए। फोन करने वाले अलग-अलग जगहों से फिरौती की मांग करते रहे। 13.4.2000 की रात्रि में

कलकत्ता पुलिस द्वारा छापा मारा गया। बिहार पुलिस की मदद से उन्होंने अपीलकर्ता सहित पांच आरोपियों को बिहार के भागलपुर से गिरफ्तार किया और पीडब्लू 2 को एक आरोपी के घर से बचाया गया। इसके बाद, एक आरोपी, जो पीडब्लू 3 का पूर्व कर्मचारी था, को कलकत्ता में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद दो और लोगों को गिरफ्तार किया गया। ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 364 ए और 120-बी के तहत सात आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ दोनों मामलों में से प्रत्येक के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन सजाएं एक साथ चलने के लिए बनाई गईं। अपील पर, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता सहित चार आरोपियों की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की और शेष तीन को संदेह के लाभ पर बरी कर दिया। व्यथित होकर अपीलकर्ता ने अकेले ही अपील दायर की।

अपील खारिज करते हुए, न्यायालय ने निर्णय कियाः

1.1 यहां, अपीलकर्ता-अभियुक्त के खिलाफ विशिष्ट आरोप आईपीसी की धारा 364 ए और 120 बी के तहत है। यदि यह स्थापित हो जाए कि अपराधी किसी व्यक्ति का अपहरण करने के बाद उक्त व्यक्ति

को हिरासत में रखता है या फिरौती देने के लिए जान से मारने या चोट पहुंचाने की धमकी देता है, तो निस्संदेह धारा 364 ए लगती है।

1.2 अभियोजन का मामला एक नाबालिग लड़के, विक्की प्रसाद रजक को उसके वैध अभिभावक महेंद्र प्रसाद रजक (पीडब्लू -3) से अपहरण करने और फिर उसे हिरासत में रखने से संबंधित है। इसके बाद, अपीलकर्ता और अन्य आरोपी व्यक्तियों ने अपहृत लड़के के पिता से भारी रकम वसूलने के लिए धमकी भरे फोन करने शुरू कर दिए और उन्हें यह भी धमकी दी कि ऐसी फिरौती कॉल का जवाब देने में विफल रहने की स्थिति में, लड़के को हिरासत में ले लिया जाएगा। हत्या कर दी जायेगी. पीडब्लू-2 के रूप में पीड़ित की स्वयं जांच की गई।पीड़ित लड़का संबंधित समय में चौथी कक्षा का छात्र था। एक बाल गवाह होने के नाते, ट्रायल जज ने गवाही देने की क्षमता से संतुष्ट होने के बाद, उनके साक्ष्य को इस हद तक स्वीकार कर लिया कि उनका अपहरण कर लिया गया था और एक घर में हिरासत में रखा गया था और एक अन्य व्यक्ति-वर्तमान अपीलकर्ता ने टेलीफोन कॉल करके फिरौती की मांग की थी और विभिन्न अवसरों पर पीडब्लू-2 को धमकी भी दी थी।

1.3 अभियोजन पक्ष द्वारा जिस दू सरे गवाह पर बहुत अधिक भरोसा किया गया, वह पीड़ित लड़के (पीडब्लू-2) के पिता महेंद्र प्रसाद रजक (पीडब्लू-3) हैं।अपने साक्ष्य में, पीडब्लू-3 ने न के वल यह खुलासा किया कि कै से उसके नाबालिग बेटे को यहां अपीलकर्ता सहित आरोपी व्यक्तियों द्वारा ले जाया गया और फिरौती लेने के लिए एक दूर जगह पर रखा गया। पीडब्लू-3 ने आरोपियों से मिली धमकी के बारे में भी बताया और उनकी मांग पूरी न करने पर उन्होंने धमकी दी कि उनके बेटे को मार दिया जाएगा। चूंकि पीडब्लू-3 से व्यापक जिरह की गई और वह अपने रुख पर कायम रहा, ट्रायल जज के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी उसकी गवाही को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। उन्होंने पीडब्लू-3 के कथन की सभी पहलुओं से पुष्टि की। पीडब्लू-7 है, जो एकचारी बाजार, कहलगांव, भागलपुर, बिहार का निवासी है। वह किसी विकास सिंह के स्वामित्व वाले सार्वजनिक टेलीफोन बूथ के कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था।

1.4 पीडब्लू-3 के साक्ष्य के अलावा, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू 6 और 7 के साक्ष्य पर बहुत अधिक भरोसा किया। पीडब्लू-6 एक समाचार पत्र विक्रेता है। यह वह था जो आरोपी की धमकी के बाद पीडब्लू-2 की तलाश में पीडब्लू-3 के साथ गया था। उसने गवाही दी कि अपीलकर्ता और एक अन्य आरोपी ने कई मौकों पर बूथ का दौरा किया था और 2-3 मौकों

पर एक बच्चे के साथ, टेलीफोन कॉल करने के लिए। पीडब्लू-7 की साक्ष्य की पीडब्लू-3 साक्ष्य की पुष्टि करती है कि उन्हें आरोपियों की ओर से 8 या 9 बार कॉल आई थीं, कुछ लोग उसके बेटे की रिहाई के लिए फिरौती की मांग कर रहे हैं।

1.5 पीडब्लू-3, 6 और 7 के साक्ष्य से, यह स्पष्ट है कि आरोपी व्यक्तियों, विशेष रूप से अपीलकर्ता ने अपने बच्चे की रिहाई के लिए पीडब्लू-3 से फिरौती की मांग की और उसने यह भी धमकी दी कि जब तक उसकी मांग पूरी नहीं होगी, वह उसके बेटे को मार डालेगा. पीडब्लू-3, 6 और 7 के संस्करण पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

2. 1993 के संशोधन अधिनियम 42 के आधार पर आईपीसी में धारा 364 ए पेश की गई थी। उद्देश्यों और कारणों के कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि फिरौती के लिए अपहरण एक अपराध है जिसके लिए कठोर दंड की आवश्यकता होती है, भले ही अपहरण के परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु न हुई हो। फिरौती के लिए अपहरण से संबंधित मामलों से निपटने में संसद की चिंता, एक ऐसा अपराध है जिसके लिए एक निवारक दंड की आवश्यकता होती है, इस तथ्य के बावजूद कि अपहरण के परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु नहीं हुई थी। फिरौती के लिए छोटे बच्चों

के अपहरण में चिंताजनक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, विधायिका ने अपने विवेक से कड़ी सजा का प्रावधान किया। इसलिए, हमारा विचार है कि ऐसे मामलों में जो कोई भी फिरौती के लिए छोटे बच्चों का अपहरण या अपहरण करता है, उसे सजा देने में कोई उदारता नहीं दिखाई जानी चाहिए, दू सरी ओर, इससे सबसे कठोर तरीके से निपटा जाना चाहिए और इसका दायित्व अदालतों पर बनता है। भी। मौजूदा मामले में, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा के आदेश को बनाए रखने में उच्च न्यायालय सही था और हम इस बात से संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय के आक्षेपित फै सले में हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली कोई कमी नहीं है।

मुल्ला और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(2010) 3 एस. सी. सी. 508-पर निर्भर।**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 2248/2011

कलकत्ता उच्च न्यायालय, द्वारा सी. आर. ए. सं. 198/2006 मे पारित निर्णय/आदेश दिनांक 29.06.2010 से।

प्रणब कुमार मलिक, विश्वरंजन, सोमा मलिक, अपीलार्थी के लिए।

चंचल के. आर. गंगुली, अभिजीत सेनगुप्ता, तारा चंद्र, उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गया-

पी. सदाशिवम, न्यायाधीश. 1. अनुमति प्रदान की गयी।

(2) यह अपील कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2006 के सीआरए नंबर 198 में पारित 29.06.2010 के अंतिम निर्णय औरआदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने सात आरोपियों में से तीन को संदेह का लाभ देते हुए बरी करदिया और पुष्टि की। यहां अपीलकर्ता और अन्य तीन अभियुक्तों की दोषसिद्धि और सजा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 6 वीं फास्ट ट्रैक कोर्ट, कलकत्ता द्वारा दिनांक 17.02.2006 के आदेश द्वारा 2000 के एससी नंबर 80 और 2001 के एसटी नंबर 4(3) में सुनाई गई।

(3) संक्षिप्त तथ्य:

(ए) अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि 17.03.2000 की दोपहर में, जो बकरीद का दिन था, विक्की प्रसाद रजक (पीडब्लू-2) नाम का एक नाबालिग लड़का लापता पाया गया था। महेंद्र प्रसाद रजक (पीडब्लू-3)-लड़के के पिता (शिकायतकर्ता) ने पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में मामले की सूचना दी, जिसे जीडी एं ट्री नंबर 1504 दिनांक 17.03.2000 के तहत दर्ज किया गया था। बाद में, लड़के के पिता को अज्ञात व्यक्तियों से 10 लाख रुपये की फिरौती की मांग करने वाले टेलीफोन कॉल आए और भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में "आईपीसी") की धारा 363 ए के तहत पार्क स्ट्रीट पीएस के स नंबर 117 दिनांक 20.03.2000 को संशोधित

किया गया। धारा 364 ए आईपीसी और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

(बी) 21.03.2000 को, शिकायतकर्ता को फिर से एक फोन आया जहां फोन करने वाले ने उसे बताया कि दुकान की बिक्री के कारण उसके पास पैसे थे, हालांकि, मांगी गई फिरौती को घटाकर रु। 7 लाख. फोन करने वाले ने उन्हें धमकी भी दी कि अगर फिरौती नहीं दी तो उनका बेटा जिंदा नहीं बचेगा. अन्य तारीखों पर और भी टेलीफोन कॉल आए और अंततः, 01.04.2000 को, कॉल करने वाले ने फिरौती की रकम घटाकर रु. 3 लाख कर दी।

(सी) 04.04.2000 को फिर से, शिकायतकर्ता को एक टेलीफोनिक संदेश प्राप्त हुआ जिसमें उसे काले रंग की शर्ट पहनकर 3 लाख रुपये के साथ जमालपुर रे लवे स्टेशन जाने के लिए कहा गया। उन्होंने इसकी सूचना लालबाजार थाने को दी. वह अपने रिश्तेदार और पुलिस के साथ सिविल ड्रेस में जमालपुर रे लवे स्टेशन गया, लेकिन कोई नहीं आया। अपनी पत्नी से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि एक और कॉल आई थी, जिसमें फोन करने वाले ने उन्हें दानापुर एक्सप्रेस से साहेबगंज स्टेशन जाने के लिए कहा था। फिर वे उस ट्रेन से साहेबगंज स्टेशन के लिए

रवाना हुए और यात्रा के दौरान एक अफसल उर्फ फाज़ो ने शिकायतकर्ता को अगले स्टेशन यानी घोगा पर उतरने के लिए कहा, जहां उसे फिरौती देनी होगी, लेकिन उसने उतरने से इनकार कर दिया और साहेबगंज चला गया। किसी ने संपर्क नहीं किया, वे वापस आ गए। पुनः दिनांक 13.04.2000 को शिकायतकर्ता को कॉलर से घोगा रे लवे स्टेशन पर आने का संदेश प्राप्त हुआ। जब वे वहां गए तो कोई नहीं आया. रात में, कलकत्ता पुलिस ने बिहार पुलिस की मदद से छापेमारी की और पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके नाम हैं, मोहम्मद कलीम उर्फ कालू, अकरम खान, अफसल खान उर्फ, फाज़ो, मोहम्मद जावेद और मोहम्मद मेहताब। भागलपुर में जगह-जगह महताब के घर से अपहृत लड़के को छु ड़ाया गया. बाद में, आरोपी व्यक्तियों के एक सहयोगी, मोहम्मद जाकिर खान को कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया गया। यह पता चला कि जाकिर खान अपहृत लड़के के पिता की सिलाई की दुकान में पूर्व कर्मचारी था, जिसे उसने बेच दिया था। अपराध में भाग लेने वाले दो अन्य सहयोगियों, नज़ामुल खान और मोहम्मद दिलशाद को भी गिरफ्तार किया गया।

(डी) पुलिस ने आईपीसी की धारा 364ए/120बी सहपठित 34 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए सभी आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। 13.11.2000 को, मामला मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, 9वीं अदालत, कलकत्ता द्वारा सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया था। दिनांक 17.02.2006 के फै सले के तहत, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सात

आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 5,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई, अन्यथा धारा के तहत अपराध करने के लिए एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा भुगतनी पड़ी। धारा 364ए आईपीसी और आजीवन कारावास और 3,000/- रुपये का जुर्माना भरना होगा, प्रत्येक को डिफ़ॉल्ट रूप से धारा 120बी आईपीसी के तहत अपराध करने के लिए एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा और दोनों सजाएं एक साथ चलनी होंगी। हालाँकि, आरोपियों में से एक मोहम्मद नज़ामुल खान को दोषी नहीं पाए जाने पर बरी कर दिया गया।

(ई) उक्त फै सले के खिलाफ, अपीलकर्ता सहित सभी सात आरोपी व्यक्तियों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष सीआरए संख्या 198/2006 के तहत अपील दायर की। दिनांक 29.06.2010 के आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने मोहम्मद जावेद, मोहम्मद दिलशाद और मोहम्मद मेहताब को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया और अकरम खान-अपीलकर्ता, अफजल खान उर्फ फाज़ो, मोहम्मद पर लगाई गई सजा और सजा की पुष्टि की। ज़ाकिर खान और मोहम्मद कलीम उर्फ कालू।

(एफ) उक्त निर्णय से व्यथित होकर, अकरम खान-अपीलकर्ता ने अके ले ही इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील दायर की है।

(4) अपीलकर्ता-अभियुक्त के विद्वान वकील श्री प्रणब कुमार मल्लिक और प्रतिवादी- राज्य के विद्वान वकील श्री चंचल गांगुली को सुना गया।

(5) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने, अभियोजन और बचाव पक्ष के साक्ष्यों, ट्रायल कोर्ट के फैसले और उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश के माध्यम से हमें बताने के बाद कहा कि अभियोजन पक्ष ने दंडनीय अपराध के लिए अपना मामला स्थापित नहीं किया है। आईपीसी की धारा 364 ए और, किसी भी स्थिति में, केवल अपहरण के लिए धारा 363 आईपीसी के तहत दंडनीय है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 363 के तहत अपहरण के लिए अधिकतम सजा सात साल है और चूंकि अपीलकर्ता ने 11 साल 7 महीने की सजा काट ली है, इसलिए पहले से ही बिताई गई अवधि अभियोजन पक्ष के मामले को संतुष्ट करेगी और उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया जा सकता है।

(6) दूसरी ओर, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि नरेश रजक-पीडब्लू-6 (पीडब्लू-3 का करीबी रिश्तेदार) और प्रांतोष कुमार गुप्ता-(पीडब्लू-7) (एक सार्वजनिक टेलीफोन बूथ काकर्मचारी), के स्पष्ट साक्ष्य के आलोक में पीडब्लू 2 और 3 के साक्ष्य की पुष्टि होती है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अभियोजन पक्ष ने अपना आरोप स्थापित कर लिया है, अर्थात् फिरौती के लिए अपहरण (आईपीसी की धारा 36 ए),

ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा, जैसा कि उच्च न्यायालय ने पुष्टि की है, उचित है और इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(7) हमने सभी प्रासंगिक सामग्रियों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है और प्रतिद्वंद्वी विवादों पर विचार किया है।

(8) यह सच है कि यदि यह आईपीसी की धारा 363 के संदर्भ में अपहरण का एक साधारण मामला है, तो अपराधी को एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जासकता है। यहां, अपीलकर्ता-अभियुक्त के खिलाफ विशिष्ट आरोप आईपीसी की धारा 364ए और 120बी के तहत है। यदि यह स्थापित हो जाए कि अपराधी किसी व्यक्ति का अपहरण करने के बाद उक्त व्यक्ति को हिरासत में रखता है या फिरौती देनेके लिए जान से मारने या चोट पहुंचाने की धमकी देता है, तो निस्संदेह धारा 364ए लगती है। उक्त प्रावधान इस प्रकार है:

"**364ए. फिरौती आदि के लिए अपहरण** -जो कोई किसी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण करता है या ऐसे अपहरण या अपहरण के बाद किसी व्यक्ति को हिरासत में रखता है और ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाने की धमकी देता है, या अपने आचरण से उचित आशंका पैदा करता है कि ऐसा व्यक्ति हो सकता है। सरकार या किसी विदेशी राज्य या

अंतरराष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने से रोकने या फिरौती देने के लिए मजबूर करने के लिए ऐसे व्यक्ति को मौत की सजा देना या चोट पहुंचाना, या चोट पहुंचाना या मौत का कारण बनना होगा। मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माना भी देना होगा।"

(9) अब आइए विचार करें कि क्या अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे आईपीसी की धारा 364ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपना मामला स्थापित किया है?

(10) यहां अपीलकर्ता उन सात आरोपियों में से एक था, जिन्हें आईपीसी की धारा 364ए और 120बी के तहत दोषी पाया गया था और उन्हें दोषी ठहराया गया था और धारा 364ए के तहत अपराध करने के लिए आजीवन कारावास और प्रत्येक को 5,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई थी। आई.पी.सी. उन्हें आईपीसी की धारा 120बी के तहत अपराध करने के लिए आजीवन कारावास और 3000/- रुपये का जुर्माना भरने की भी सजा सुनाई गई और सजाएं साथ-साथ चलने लगीं। इसमें कोई संदेह नहीं है, तीन आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् मोहम्मद जावेद, मोहम्मद दिलशाद और मोहम्मद मेहताब को उच्च न्यायालय द्वारा सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। यहां अपीलकर्ता उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए अन्य आरोपियों में से एक है। यहां अपीलकर्ता को छोड़कर

अन्य आरोपी व्यक्तियों ने इस अदालत के समक्ष दोषसिद्धि को चुनौती नहीं दी है।

(11) जैसा कि पहले बताया गया है, अभियोजन का मामला एक नाबालिग लड़के विक्की प्रसाद रजक को उसके वैध अभिभावक महेंद्र प्रसाद रजक (पीडब्लू -3) से अपहरण करने और फिर उसे हिरासत में रखने से संबंधित है। इसके बाद, अपीलकर्ता और अन्य आरोपी व्यक्तियों ने अपहृत लड़के के पिता से भारी रकम वसूलने के लिए धमकी भरे फोन करने शुरूकर दिए और उन्हें यह भी धमकी दी कि ऐसी फिरौती कॉल का जवाब देने में विफल रहने की स्थिति में, लड़के को हिरासत में ले लिया जाएगा। हत्या कर दी जायेगी।पीडब्लू-2 के रूप में पीड़ित की स्वयं जांच की गई। पीड़ित लड़का संबंधित समय में चौथी कक्षा का छात्र था। एक बाल गवाह होने के नाते, अदालत को संतुष्ट होना होगा कि वह घटनाओं को समझने में सक्षम है। अपने साक्ष्य में, पीड़ित लड़के - पीडब्लू-2 ने कहा है कि 17.03.2000 को बकरीद का दिन था और स्कूल बंद था। उनके अनुसार, जब वह अपने दोस्तों के साथ बकरियों को पत्ते दे रहे थे, तभी एक आदमी वहां आया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा ताकि वह उसके लिए कुछ चॉकलेट खरीद सके । वह कासो के साथ उसके साथ चला गया। सबसे पहले वे अपने घर के सामने मिंटू नामक व्यक्ति की दुकान पर गये। शख्स के पास 10 रुपये का नोट था लेकिन दुकानदार मिंटू के पास खुले पैसे नहीं थे. कासो वापस चला गया और उसके बाद वे दू सरी दुकान पर

गए जोबंद थी। वे थोड़ा आगे गए और एक टैक्सी में बैठ गए और उसे काला बागान में एक घर में ले जाया गया। वे कु छ देर वहां रुके। इसके बाद, उसे एक बस, रूटनंबर 71 में टिकिया पारा, हावड़ा ले जाया गया और वहां से उसे एक अन्य व्यक्ति के कमरे में ले जाया गया। वह व्यक्ति उस समय अपने घर में नहीं था लेकिन जब वह वापस आया तो उसे कुछ खाने को दिया गया। इसके बाद उसे सियालदह स्टेशन ले जाया गया जहां जाकिर मौजूद था। जाकिर अपने पिता की सिलाई की दुकान पर काम करता था. इसके बाद, वे एक ट्रेन में चढ़ गए और अगली सुबह वे घोगा नामक स्टेशन पर उतरे । वहां से उन्होंने साइकिल रिक्शा लिया और एक घर में चले गये।उन्होंने आगे कहा कि उस घर में कमरे के अंदर दो आदमी मौजूद थे और वे अकरम, अपीलकर्ता और अफजल खान उर्फ फाज़ो थे। पीडब्लू-2 ने पहले व्यक्ति - मोहम्मद कलीम उर्फ कालू के साथ अदालत में उनकी पहचान की। उन्होंने यह भी बताया कि वहां दो महिलाएं भी मौजूद थीं। उसे 5 से 6 दिनों तक वहां रखा गया और आरोपी मोहम्मद कलीम उर्फ कालो उक्त घर में उसके साथ था। उन्होंने यह भी बताया कि कई बार उन्हें एसटीडी टेलीफोन बूथ पर ले जाया गया। उन्होंने यह भी बताया कि टेलीफोन कॉल करते समय अपीलकर्ता-अभियुक्त ने उन्हें धमकी दी थी। ट्रायल जज ने गवाही देने की अपनी क्षमता से संतुष्ट होने के बाद, उनके साक्ष्य को इस हद तक स्वीकार कर लिया कि उनका अपहरण कर लिया गया था और एक घर में हिरासत में रखा गया था और एक अन्य व्यक्ति-

वर्तमान अपीलकर्ता ने टेलीफोन कॉल करके फिरौती की मांग कीथी और विभिन्न अवसरों पर पीडब्लू-2 को धमकी भी दी थी।

(12) अभियोजन पक्ष द्वारा जिस दूसरे गवाह पर बहुत अधिक भरोसा किया गया, वहपीड़ित लड़के (पीडब्लू-2) के पिता महेंद्र प्रसाद रजक (पीडब्लू-3) हैं। अपने साक्ष्य में, उन्होंने कहा कि वह पीडब्लू-2 सहित अपने परिवार के सदस्यों के साथ परिसर संख्या 108ए, इलियट रोड, कलकत्ता में रहते थे। पीड़िता (पीडब्लू-2) के अलावा, उससे छोटे दो नाबालिग बेटे हैं। वह संबंधित समय में एसी मार्केट में सेल्समैन के रूप में कार्यरत था और एसी मार्केट में बी-3 नंबर की एक दुकान का मालिक भी था। इसके अलावा, उनकी कलकत्ता के 45 गार्डनर लेन, रिपन लेन के पास एक सिलाई की दुकान थी। उक्त सिलाई की दुकान फरवरी, 2000 में बेच दी गई थी। उक्त सिलाई की दुकान में अशोक मंडल और जाकिर खान नाम के उनके दो कर्मचारी थे। उन्होंने आगे बताया कि बिक्री से तीन साल पहले, अशोक मंडल को उनके रोजगार से मुक्त कर दिया गया था और जाकिर खान एक कर्मचारी के रूप में जारी रहे थे। टेलरिंग की दुकान की बिक्री के बाद, उन्होंने जाकिर खान को रुपये का नकद भुगतान किया। 20,000/-, एक सिलाई मशीन और एक साइकिल। 17.03.2000 को, जो बकरीद का दिन था, जबवह सुबह 10:00 बजे अपनी दुकान पर गया, दोपहर लगभग 01:00 बजे उसे अपनी पत्नी से फोन आया कि उनका बेटा पिछले एक घंटे से लापता है। तलाश करने के बाद उसने पुलिस से

शिकायत की। मोहल्ले में मुनादी कराने के बाद भी उसे अपना बेटा वापस नहीं मिल सका। इसी दौरान 19.03.2000 की शाम को उन्हें एक टेलीफोन कॉल आया जिसमें उनके लापता बच्चे विक्की प्रसाद रजाक (पीडब्लू-2) के लिए 10 लाख रुपये की फिरौती की मांग की गई। उन्हें बताया गया कि उनका लापता बेटा उनके पास है, लेकिन उन्होंने उसका नाम या वह स्थान नहीं बताया जहां उनका बेटा रहता था। आधे घंटे बाद उसी व्यक्ति ने टेलीफोन परइसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को नहीं देने को कहा. पीडब्लू-3 ने आगे बताया कि 20.03.2000 को, उसने स्थानीय पुलिस को पिछले दिन प्राप्त दो टेलीफोन संदेशों के बारे में सूचित किया। इसे पुलिस अधिकारी ने रिकॉर्ड कर लिया. 21.03.2000 को, उन्हें एक और टेलीफोन संदेश प्राप्त हुआ जिसमें दूसरी तरफ के व्यक्ति ने कहा था कि उसके पास सिलाई की दुकान की बिक्री के कारण पैसे थे, हालांकि, फिरौती की रूपये की मात्रा घटाकर उसे 7 लाख रुपये का भुगतान किया जाए अन्यथा उसका लापता बेटा जीवित नहीं रहेगा। उसकी धमकी के बाद, अज्ञात व्यक्ति ने शीघ्र कार्रवाई करने के लिए उसके बेटे को टेलीफोन पर उससे (पीडब्लू-3) बात करने के लिए कॉल करने की भी व्यवस्था की। 25.03.2000 को, उन्हें एक और टेलीफोन संदेश प्राप्त हुआ जिसमें पूछा गया था कि क्या उन्होंने फिरौती की व्यवस्था की थी। 26.03.2000 को, उन्हें एक और टेलीफोन संदेश प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया कि फिरौती की रकम घटाकर रु. 5 लाख रुपये मांगे और अपने बेटे विक्की से बात करने को कहा,

जिसने उसे जल्दी वापस ले जाने की बात कही।01.04.2000 को, उन्हें एक और टेलीफोन संदेश प्राप्त हुआ जिसमें फिरौती की मात्रा को घटाकर रुपये 3 लाख कर दिया गया। पीडब्लू-3 उक्त राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया लेकिन दूसरे पक्ष के व्यक्ति ने बताया कि फिरौती के आदान-प्रदान का स्थान उसे बाद में बताया जाएगा। दिनांक 02.04.2000 को जब वह मन्दिर से पूजा करके वापस आ रहे थे। उन्होंने पाया कि उनके घरवाले यह सुनकर रो रहे थे कि उनके लापता बेटे की हत्या कर दीगई है और उन्हें फोन पर ऐसी सूचना मिली थी। पुनः 04.04.2000 को, उन्हें उसी व्यक्ति से एक टेलीफोनिक संदेश प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि उनका बेटा जीवित है और उसे मारा नहीं गया है। फोन करने वाले ने उसे रुपये लेकर जमालपुर रेलवे स्टेशन आने को कहा। 3 लाख रुपये की काले रंग की शर्ट पहने हुए और अपने एक रिश्तेदार के साथ। 13.04.2000 को, उन्हें बदमाशों से एक और टेलीफोन संदेश प्राप्त हुआ जिसमें उनसे रुपये के साथ 15.04.2000 को घोगा रेलवे स्टेशन जाने के लिए कहा गया। 3 लाख रुपए और काले रंग की शर्ट पहने एक रिश्तेदार। उसने पुलिस को सारी जानकारी दी और घोगा के लिए चल दिया, लेकिन जब वे वहां पहुंचे, तो कोई भी नहीं आया। रात में, कलकत्ता पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ छापेमारी की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और लड़के को महताब के घर से बचाया गया। तलाशी के दौरान पुलिस को अफजल खान उर्फ फाजो नामक व्यक्ति के बिस्तर के नीचे से

एक पिस्तौल और दो कारतूस भी बरामद हुए। साक्ष्य में, उन्होंने अदालत को आगे बताया कि उन्हें बदमाशों से 8 या 9 बार टेलीफोन पर संदेश मिले और हर बार उन्होंने उन्हें धमकी दी कि अगर पैसे नहीं लाए, तो उनके बेटे को मार दिया जाएगा। अपनी जिरह में, पीडब्लू-3 ने पुलिस अधिकारी के समक्ष विभिन्न तारीखों यानी 17.03.2000, 20.03.2000, 04.04.2000, 11.04.2000 और 18.04.2000 को दिए गए बयान के बारे में बताया, जब उन्हें अपना बेटा वापस मिला। अपने साक्ष्य में, पीडब्लू-3 ने न केवल यह खुलासा किया कि कैसे उसके नाबालिग बेटे को यहां अपीलकर्ता सहित आरोपी व्यक्तियों द्वारा ले जाया गया और फिरौती लेने के लिए एक दूर जगह पर रखा गया। पीडब्लू-3 ने आरोपियों से मिली धमकी के बारे में भी बताया और उनकी मांग पूरी न करने पर उन्होंने धमकी दी कि उनके बेटे को मार दिया जाएगा। चूंकि पीडब्लू-3 से व्यापक जिरह की गई और वह अपने रुख पर कायम रहा, ट्रायल जज के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी उसकी गवाही को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया।

(13) पीडब्लू-3 के साक्ष्य के अलावा, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू 6 और 7 के साक्ष्य पर बहुत अधिक भरोसा किया। पीडब्लू-6 एक समाचार पत्र विक्रेता है। अपने साक्ष्य में उन्होंने स्वीकार किया कि पीडब्लू-3 उनका करीबी रिश्तेदार है। यह वह था जो आरोपी की धमकी के बाद पीडब्लू-2 की तलाश में पीडब्लू-3 के साथ गया था। उन्होंने पीडब्लू-3 के कथन की सभी पहलुओं से पुष्टि की।

(14) अभियोजन पक्ष द्वारा जिस अगले गवाह पर भरोसा किया गया वह पीडब्लू-7 है, जो एकचारी बाजार, कहलगांव, भागलपुर, बिहार का निवासी है। वह किसी विकास सिंह के स्वामित्व वाले सार्वजनिक टेलीफोन बूथ के कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। उन्होंने गवाही दी कि उन्हें यहां अकरम-अपीलकर्ता के बारे में एक जावेद से पता चला, जो उनके टेलीफोन बूथ के पास स्थित घर का निवासी है। उन्होंने आगे बताया कि जावेद ने उन्हें बताया कि अकरम उसका मामा है और वह घोगा का रहने वाला है। पीडब्लू-7 ने अदालत को आगे बताया कि उक्त अकरम 8/10 मौकों पर उनके बूथ पर गया था। दो-तीन बार वह एक बच्चे के साथ उनके बूथ पर आये। दूसरे व्यक्ति जावेद ने भी दो-चार बार टेलीफोन करने के उद्देश्य से बूथ का दौरा किया। पीडब्लू-7 ने अदालत को यह भी बताया कि अकरम के साथ आया बच्चा भी उसके निर्देशानुसार फोन पर बात करता था।

(15) पीडब्लू-3, 6 और 7 के साक्ष्य से, यह स्पष्ट है कि आरोपी व्यक्तियों, विशेष रूप से अपीलकर्ता ने अपने बच्चे की रिहाई के लिए पीडब्लू-3 से फिरौती की मांग की और उसने यह भी धमकी दी कि जब तक उसकी मांग पूरी नहीं होगी, वह उसके बेटे को मार डालेगा। पीडब्लू-3, 6 और 7 के संस्करण पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

(16) मल्लेशी बनाम कर्नाटक राज्य, (2004) 8 एससीसी 95 में, धारा 364ए आईपीसी की सामग्री पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नानुसार माना:

"**12.** धारा 364-ए के प्रावधानों को लागू करने के लिए जो साबित करना आवश्यक है वह है: (1) कि आरोपी ने व्यक्ति का अपहरण या अपहरण किया है; (2) ऐसे अपहरण और व्यपहरण के बाद उसे हिरासत में रखा; और (3) कि अपहरण या अपहरण फिरौती के लिए था..."

जैसा कि ऊपर उल्लिखित अनुभाग में कहा गया है, फिरौती का भुगतान करने का सामान्य अर्थ कीमत चुकाना या फिरौती की मांग करना है। इससे पता चलेगा कि मांग के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

(17) हमने पहले ही पीडब्लू-3 के सबूतों की ओर इशारा किया है कि उन्हें आरोपी व्यक्तियों से 8 या 9 बार फोन आए थे, जिसमें उनके बेटे की रिहाई के लिए फिरौती की मांग की गई थी और एक सार्वजनिक टेलीफोन बूथ के कर्मचारी पीडब्लू-7 के साक्ष्य भी इसकी पुष्टि करते हैं। पीडब्लू-3 के साक्ष्य के साथ, जिसने बताया कि अपीलकर्ता द्वारा टेलीफोन बूथ से कई बार और बच्चे के साथ 2 या 3 बार कॉल किए गए थे।

(18) विनोद बनाम हरियाणा राज्य, एआईआर 2008 एससी 1142 में, मल्लेशी (सुप्रा) में प्रतिपादित सिद्धांतों को दोहराते हुए, इस न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार कर लिया और धारा 364 ए आईपीसी के तहत लगाए गए आजीवन कारावास की सजा और सजा की पुष्टि की।

(19) हालांकि अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि मामला केवल धारा 363 के तहत आता है, अर्थात् केवल अपहरण, न कि धारा 364ए यानी फिरौती के लिए अपहरण के तहत अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए स्वीकार्य साक्ष्य के आलोक में, जिस पर भरोसा किया गया और स्वीकार किया गया ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा, हम उक्त तर्क को खारिज करते हैं।

(20) अब हमें यह देखना होगा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा और हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि की गई सजा उचित है या नहीं? हमने पहले ही पैराग्राफ में धारा 364ए निकाल ली है, जिसमें कहा गया है कि यदि अभियोजन बिना किसी संदेह के यह स्थापित करता है कि अपहरण फिरौती के लिए किया गया था, तो इस धारा में दी गई सजा मौत या आजीवन कारावास है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

(21) मुल्ला और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 3 (2010) 3 एससीसी 508 में, पहले के विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:-**"67**. यह स्थापित कानूनी स्थिति है कि सज़ा अपराध के अनुरूप होनी चाहिए। यह अदालत का कर्तव्य है कि वह आपराधिकता की डिग्री और ऐसी सजा देने की वांछनीयता के आधार पर उचित सजा दे। सामाजिक आवश्यकता के उपायके रूप में और अन्य संभावित अपराधियों को रोकने के साधन के रूप में, सजा अपराध के अनुरूप उचित होनी चाहिए।

हम एक बार फिर उपरोक्त दृष्टिकोण का पूर्ण समर्थन करते हैं।

(22) यह इंगित करना प्रासंगिक है कि 1993 के संशोधन अधिनियम 42 के आधार पर आईपीसी में धारा 364ए पेश की गई थी। उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है:-

"उद्देश्यों और कारणों का विवरण फिरौती के लिए, लोगों में दहशत पैदा करने के लिएऔर गिरफ्तार सहयोगियों और कैडरों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए आतंकवादियों द्वारा अपहरण ने गंभीर आयाम ले लिया है। कानून के मौजूदा प्रावधान निवारण के रूप में अपर्याप्त साबित हुए हैं। विधि आयोग ने अपनी 42वीं रिपोर्ट में इस खतरे से निपटने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान की भी सिफारिश की है। ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्तियों को निवारक दंड प्रदान करने और आपराधिक प्रक्रिया संहिता,

1973 में परिणामी संशोधन करने के लिए भारतीय दंड संहिता में संशोधन करना आवश्यक था।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि फिरौती के लिए अपहरण से संबंधित मामलों से निपटने में संसद की चिंता, एक ऐसा अपराध है जिसके लिए एक निवारक दंड की आवश्यकता होती है, इस तथ्य के बावजूद कि अपहरण के परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु नहीं हुई थी। फिरौती के लिए छोटे बच्चों के अपहरण में चिंताजनक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, विधायिका ने अपने विवेक से कड़ी सजा का प्रावधान किया। इसलिए, हमारा विचार है कि ऐसे मामलों में जो कोई भी फिरौती के लिए छोटे बच्चों का अपहरण या अपहरण करता है, उसे सजा देने में कोई उदारता नहीं दिखाई जानी चाहिए, दूसरी ओर, इससे सबसे कठोर तरीके से निपटा जाना चाहिए और इसका दायित्व अदालतों पर भी बनता है। मौजूदा मामले में, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा के आदेश को बनाए रखने में उच्च न्यायालय सही था और हम इस बात से संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले में हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली कोई कमी नहीं है।

(23) नतीजतन, अपील विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है

अपील खारिज

नोटः- यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायत से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **भारत भूषण शर्मा (आर.जे.एस.)** द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया गया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उददेश्यों के लिए, निर्णय का अंगे्रजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंगे्रजी संस्करण ही मान्य होगा।